न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1000/2024

अनवान : –

1. हंसराम पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 74/76 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से 27901/106545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 4.6540 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम हंसराज दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम हंसराम है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक आदि में वादी का नाम हंसराम है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम हंसराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम हंसराज दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम हंसराम है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक आदि में वादी का नाम हंसराम है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम हंसराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम हंसराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:22:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 74/76 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से 27901/106545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 4.6540 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम हंसराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम हंसराम अंकित है तथा सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा भी नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 74/76 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से 27901/106545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 4.6540 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम हंसराज के स्थान पर हंसराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच हंसराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का हंसराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम हंसराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:22:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1000/2024

अनवान : –

1. हंसराम पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1000 सन 2024 निर्णय दिनांक 13/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 74/76 की कुल 21.3090 हैक्ट भूमि में से 27901/106545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 4.6540 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम हंसराज के स्थान पर हंसराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच हंसराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का हंसराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम हंसराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:22:02 IST
Reason: SelfAttested